



2026:AHC: 168468

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 252/1987

राकेश और एक अन्य

.....अपीलार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

अपीलार्थी(गण) के अधिवक्ता : आर.के. श्रीवास्तव, श्री कृष्ण यादव

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : ए.जी.ए.

न्यायालय संख्या- 76

माननीय न्यायमूर्ति समित गोपाल

1. सूची दोहराई गई।
2. जीवित अपीलार्थी संख्या 2 जगदीश के विद्वान अधिवक्ता श्री श्री कृष्ण यादव, राज्य के लिए विद्वान अधिवक्ता श्री बीरेंद्र प्रताप सिंह को सुना गया।
3. विचारण न्यायालय के अभिलेख वर्तमान पत्रावली के साथ संलग्न हैं और प्रकरण की पेपर बुक भी तैयार की गई है, जिसे अभिलेख पर रखा गया है और इसका परिशीलन किया गया है।
4. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अंतर्गत यह अपील अपीलार्थी राकेश पुत्र पोथी राम और जगदीश पुत्र नरोत्तम द्वारा विशेष न्यायाधीश (आर्थिक अपराध), आगरा द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 190 वर्ष 1984, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राकेश और एक अन्य, में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 24.01.1987 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अभियुक्त/अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 436 के अंतर्गत अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया और 05 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



5. इस अपील के लंबित रहने के दौरान अपीलार्थी संख्या 1/राकेश की मृत्यु हो गई और इस प्रकार इस पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.4.2026 के माध्यम से उसकी अपील उपशमित हो गई। इस प्रकार अपील केवल अपीलार्थी संख्या 2/जगदीश के लिए ही शेष है।

6. खेम सिंह द्वारा थानाध्यक्ष, थाना पिनाहट, जिला आगरा को एक बिना तिथि का प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि ग्राम मनसुख का पुरा में स्थित उसके घर में 02.04.1983 को दोपहर लगभग 12.00-01.00 बजे आग लगा दी गई थी। वे सभी अपने खेत में काम कर रहे थे जो लगभग एक मील की दूरी पर था। जब उन्होंने गांव में आग देखी तो वे अपने खेत से दौड़े और जब वे आए, तो उन्होंने देखा कि उनका घर जल रहा है। जब वह अपने घर आया और अपने बच्चों से पूछा तो उन्होंने रोते हुए उसे बताया कि पोथी राम के बेटे राकेश और नरोत्तम के बेटे जगदीश ने इसमें आग लगा दी है और भाग गए हैं। उसकी बेटी सुनीता ने चिल्लाते हुए कहा कि राकेश और जगदीश ने उसके घर में आग लगा दी है। एक रिपोर्ट दर्ज की जाए और कार्रवाई की जाए। उक्त रिपोर्ट अभिलेखों में प्रदर्श क-2 है।

7. उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना पिनाहट, जिला आगरा में लगभग 12:00 बजे रात्रि भारतीय दंड संहिता की धारा 436 के अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या 34 वर्ष 1983 के रूप में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई।

8. 05.04.1983 को विवेचना अधिकारी ने कुछ राख को अपने कब्जे में लिया। तत्पश्चात वाद में अंतिम रिपोर्ट दाखिल की गई। खेम सिंह ने उपरोक्त वाद के तथ्यों का उल्लेख करते हुए 14.06.1983 को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आगरा के समक्ष एक परिवाद दाखिल किया। एक जांच की गई और उसके बाद संबंधित न्यायालय ने अभियुक्तों के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनता हुआ पाया और इस प्रकार उसने अभियुक्तों को सुपुर्द कर दिया। चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, आगरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.08.1984 के माध्यम से अभियुक्त/अपीलार्थियों राकेश और जगदीश के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 436 के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया। फिर उन्हें आरोप पढ़कर सुनाया गया और समझाया गया, जिस पर उन्होंने अपराध स्वीकार नहीं किया और विचारण की मांग किया।

9. विचारण में अभियोजन पक्ष ने चार गवाहों को प्रस्तुत किया और उनका परीक्षण किया। कुमारी सुनीता पुत्री चंद्र पाल, आयु लगभग 10 वर्ष, को पी.डब्ल्यू.-1 के रूप में प्रस्तुत और परीक्षित

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



किया गया, कु. सुनीता की माता श्रीमती भू देवी को पी.डब्ल्यू.-2 के रूप में प्रस्तुत और परीक्षित किया गया, कांस्टेबल हरेंद्र पाल सिंह को पी.डब्ल्यू.-3 के रूप में प्रस्तुत और परीक्षित किया गया और परिवादी खेम सिंह को पी.डब्ल्यू.-4 के रूप में प्रस्तुत और परीक्षित किया गया।

10. कु. सुनीता/पी.डब्ल्यू.-1 ने कहा कि उनका छप्पर ग्राम मनसुख का पुरा में था। राकेश ने उसमें आग लगा दी और जगदीश पास में खड़ा था। दोपहर के लगभग 12:00 बजे थे, उसकी चाची और माता भू देवी दरवाजे पर खड़ी थीं और वह अपने भाई कलुआ को खाना दे रही थी। राकेश ने पहले अपनी बीड़ी जलाई और उसकी माचिस की तीली छप्पर पर फेंकी और फिर से माचिस की तीली जलाई और उसे छप्पर पर फेंका जिससे वह जल गया। आग लगने से तीन बकरियां और घर का पूरा सामान जल गया। कुएं पर कल्ला, जगीरा थे जो पानी खींच रहे थे और उन्होंने घटना को देखा। वह न्यायालय में दोनों अभियुक्तों को पहचानती है।

11. भू देवी/पी.डब्ल्यू.-2 चंद्र पाल की पत्नी है। वह कहती है कि दोपहर लगभग 12:00-01:00 बजे राकेश ने छप्पर में आग लगा दी। जगदीश भी उसके साथ था। राकेश ने उसे माचिस की तीली से जलाया। अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित हैं। घटना के समय कल्ला और जगीरा कुएं पर उपस्थित थे और पानी भर रहे थे। उसकी बेटी कु. सुनीता और देवरानी उषा भी उपस्थित थीं। आग लगने से तीन बकरियां और घर का सामान जल गया।

12. कांस्टेबल हरेंद्र पाल सिंह/पी.डब्ल्यू.-3 कहता है कि वह 04.04.1983 को 12:00 बजे रात्रि में लिखित जनरल डायरी संख्या 16 के साथ थाना पिनाहट से आया था। उसने उसकी एक प्रति दाखिल की जिसे अभिलेखों में प्रदर्श क-1 के रूप में चिह्नित किया गया था। उसने आगे वर्तमान मामले की अंतिम रिपोर्ट के अभिलेख दाखिल किए। वह अपनी जिरह में कहता है कि मामले में दिनांक 02.05.1983 की अंतिम रिपोर्ट दाखिल की गई थी, जिसे संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा 05.09.1983 को स्वीकार कर लिया गया था।

13. खेम सिंह/पी.डब्ल्यू.-4 वर्तमान मामले का प्रथम सूचनादाता है। वह पुलिस को दिए गए अपने प्रार्थना पत्र में दिए गए विवरण को दोहराता है, जो अभिलेखों में प्रदर्श क-2 है।

14. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अपने बयानों में अभियुक्तों ने अभियोजन पक्ष के विवरण से पूरी तरह इनकार किया। कोई बचाव साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



15. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को वर्तमान वाद में झूठा फंसाया गया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि यद्यपि प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रथम सूचनादाता के छप्पर को जलाने के दोनों अपीलार्थियों को समान और सामान्य भूमिका सौंपी गई है, लेकिन कु. सुनीता/पी.डब्ल्यू.-1 और श्रीमती भू देवी/पी.डब्ल्यू.-2 घटना की दो चश्मदीद गवाह हैं जिन्होंने विशेष रूप से आग लगाने की भूमिका अभियुक्त राकेश/अपीलार्थी संख्या 1 को सौंपी है। यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि जहां तक अपीलार्थी संख्या 2/जगदीश का संबंध है, उसे कोई विशिष्ट कार्य या प्रत्यक्ष कृत्य नहीं सौंपा गया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि जब राकेश ने अपनी बीड़ी जलाई तो उसने माचिस की तीली छप्पर पर फेंकी, लेकिन उससे कुछ जला नहीं, और फिर उसने दोबारा माचिस की तीली जलाई और उसे छप्पर पर फेंका जिससे वह जल गया और उस समय, अपीलार्थी जगदीश खड़ा था। यह प्रस्तुत किया गया है कि दोषसिद्धि भारतीय दंड संहिता की धारा 436 के अंतर्गत दर्ज की गई है जिसमें अभियुक्त पर प्रतिनिधिक दायित्व का कोई तत्व नहीं है। यह प्रस्तुत किया गया है कि एकत्र किए गए साक्ष्य के अनुसार अपीलार्थी/जगदीश का मामला केवल सह-अभियुक्त राकेश के साथ खड़े होने तक सीमित है जिसने छप्पर में आग लगाई थी। यह प्रस्तुत किया गया है कि मामले में एक अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी जिसे पी.डब्ल्यू.-3/कांस्टेबल हरेंद्र पाल सिंह के बयान के अनुसार विचारण न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया था और फिर निर्णय के अनुसार खेम सिंह द्वारा एक परिवाद दाखिल किया गया था, जिस पर संबंधित न्यायालय द्वारा एक जांच की गई और फिर अभियुक्तों को न्यायालय में सुपुर्द किया गया। यह प्रस्तुत किया गया है कि इस प्रकार विवेचना के दौरान पुलिस ने भी अपीलार्थियों को मामले में संलिप्त नहीं पाया। यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि इस प्रकार अभियोजन पक्ष जीवित अपीलार्थी/जगदीश पर कोई विशिष्ट कार्य या प्रत्यक्ष कृत्य विनिर्दिष्ट करने में विफल रहा है। यह प्रस्तुत किया गया है कि इस प्रकार अपील को स्वीकार किया जाए और विचारण न्यायालय द्वारा दी गई दोषसिद्धि और सजा को अपास्त किया जाए।

16. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने अपील का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि दोनों अभियुक्त एक साथ आए जिसके बाद अभियुक्त राकेश ने छप्पर पर माचिस की तीली फेंकी लेकिन छप्पर नहीं जला और फिर उसने फिर से माचिस की तीली जलाई और उसे फेंका जिससे

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



छप्पर जल गया जिसके कारण तीन बकरियां और पूरे घरेलू सामान जल गए। यह प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि जीवित अपीलार्थी जगदीश भी सह-अभियुक्त राकेश के साथ था, इसलिए उनका उक्त अपराध कारित करने का आशय था और इस प्रकार इसके अनुसरण में राकेश के कृत्य से उक्त छप्पर जल गया जिससे प्रथम सूचनादाता को हानि हुई। यह प्रस्तुत किया गया है कि इस प्रकार घटनास्थल पर जीवित अपीलार्थी की उपस्थिति से इनकार नहीं किया जा सकता है और इसके संबंध में निर्णायक साक्ष्य है। यह प्रस्तुत किया गया है कि विचारण न्यायालय का निर्णय और आदेश ठोस कारणों पर आधारित है और अभियोजन पक्ष ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध कर दिया है और इस प्रकार अपील को खारिज कर दिया जाए।

17. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और अभिलेखों का परिशीलन करने के पश्चात, यह स्पष्ट है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार दो अभियुक्तों अर्थात् राकेश और जगदीश को छप्पर जलाने की भूमिका सौंपी गई है। हालांकि, प्रथम सूचनादाता खेम सिंह घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है। पी.डब्ल्यू.-1 कु. सुनीता और पी.डब्ल्यू.-2 भू देवी उक्त घटना की चश्मदीद गवाह हैं। उक्त दोनों गवाहों ने छप्पर जलाने की भूमिका सह-अभियुक्त राकेश को सौंपी है। जीवित अपीलार्थी/जगदीश वह व्यक्ति था जो राकेश के साथ था जो उसके साथ घटनास्थल पर उपस्थित था। उसे कोई प्रत्यक्ष कृत्य या विशिष्ट कार्य नहीं सौंपा गया है। इस प्रकार अपीलार्थी/जगदीश का मामला सह-अभियुक्त राकेश के मामले से भिन्न है। जहां तक अपीलार्थी संख्या 1/राकेश का संबंध है, अपील आदेश दिनांक 17.04.2026 के माध्यम से उपशमित हो गई। इस प्रकार बिना किसी प्रत्यक्ष कृत्य के वर्तमान वाद में अभियुक्त/अपीलार्थी जगदीश को दोषसिद्ध करना कठिन होगा।

18. इसके दृष्टिगत, वर्तमान अपील स्वीकार की जाती है।

19. आक्षेपित निर्णय और आदेश जीवित अपीलार्थी के विरुद्ध एतद्वारा अपास्त किया जाता है।

20. जीवित अपीलार्थी- जगदीश को उस पर लगाए गए आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। वह जमानत पर है। उसका जमानत बंधपत्र रद्द किया जाता है और प्रतिभुओं को उन्मोचित किया जाता है।

21. लंबित प्रार्थना पत्र, यदि कोई हों, का निस्तारण कर दिया जाए।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



22. रजिस्ट्रार (अनुपालन) को सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए इस निर्णय और आदेश की एक प्रति के साथ-साथ विचारण न्यायालय के अभिलेख तत्काल संबंधित न्यायालय को भेजने का निर्देश दिया जाता है।

(न्यायमूर्ति समित गोपाल)

11 अगस्त, 2026

नरेश

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”